न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1066

1. शेर सिंह पुत्र स्व. श्री हरनाथ सिंह व स्व. श्रीमती भंवर कंवर उर्फ भंवर बाई उम्र 54 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तोगड़ास्वरूपसिंह, तहसील व जिला झुन्झुनूं।

— अपीलान्ट

बनाम

1. भूर कंवर उर्फ भंवर कंवर (मृतक) जरिये—

1/1. नन्द कंवर उर्फ नानीबाई पत्नी सुल्तानसिंह जाति राजपूत, निवासी गनोड़ा, तहसील सुजानगढ़, जिला झुन्झुनूं।

2. ग्राम पंचायत अजाड़ीकलां, जरिये सरपंच अजाड़ीकलां, तहसील व जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 15.03.2018 प्रकरण अपील संख्या 04/2015 उनवानी भंवर कंवर उर्फ भूर कवंर बनाम शेरसिंह व अन्य जिसके तहत नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांकित 03.09.2005 को निरस्त किया गया।

उपस्थित :—

1. श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री बी.एस. राठौड़ वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बाद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :— 29.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 15.03.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने सरपंच, ग्राम पंचायत अजाड़ी कलां द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 03.09.2005 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार की ज़ाकर ग्राम तोगड़ास्वरूपसिंह के पुराने खसरा नम्बर 70/1, 28, 29 कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा से बने वर्तमान खसरा नम्बर 63, 64, 65, 188 कुल किता 4 रकबा 3.40 हैक्टर के क्रम में ग्राम पंचायत अजाड़ी कलां द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 03.09.2005 विधि शून्य होने से निरस्त किया जाकर उक्त नामान्तकरण के द्वारा वादग्रस्त भूमि के आधे हिस्से के खातेदार रेस्पोडेन्ट शेर सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह के स्थान पर अपीलान्ट भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर पत्नी श्री हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह जाति राजपूत, निवासी तोगड़ास्वरूपसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार झुन्झुनूं को मय निर्णय पालनार्थ भिजवाये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2018 पारित किये गये हैं।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 15.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2018 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बाद तामील अनुपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं दिनांक 15.03.2018 तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने क्षेत्राधिकार के बाहर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः परवर्स व अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त पत्रावली वास्ते रेस्पोडेंट संख्या 2 की तलबी हेतु नियत चल रही थी, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूदा अपीलार्थी ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 4 नियम 1 (3) व धारा 151 प्रस्तुत किया और दस्तावेजात प्रस्तुत किये जिस आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनी और पत्रावली को उक्त आवेदन पर आदेश हेतु दिनांक 12.03.2018 नियत की उस दिन पीठासीन अधिकारी ना होने की वजह से आगामी तारीख दिनांक 15.03.2018 नियत की गई और अधीनस्थ न्यायालय ने तलबी की कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही तथा मौजूदा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 4 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी पर कोई आदेश पारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित फरमा दिया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। वास्तव में भूर कंवर उर्फ भंवर कंवर नाम की महिला का तो काफी वर्ष पूर्व ही देहान्त हो चुका है। केन्द्रपाल सिंह ने अपने आप को पुत्र हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह जाति राजपूत अंकित करते हुए तथा अपने आप को मुख्त्यार आम होना अंकित करते हुए भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर तथाकथित धर्मपत्नि हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी तोगड़ास्वरूपसिंह पुलिस थाना सदर झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं हाल आबाद प्रेमपुरा पोस्ट श्यामपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा राजस्थान के नाम से अधीनस्थ नयायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की वह पूर्णतः अवैध थी। ग्राम तोगड़ास्वरूपसिंह में इस नाम की कोई महिला और ना ही इस नाम कोई पुरूष कभी भी निवास करते है। परन्तु फिर भी उनके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिस अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने ना तो धारा 96 जा०दी० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और ना ही उक्त अपील अपीलार्थी स्वयं भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील मुख्तयारआम द्वारा प्रस्तुत की गई है, जबकि भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर का तो देहान्त हो चुका है। परन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का मौका प्रदान नहीं किया। प्राकृतिक न्याय एवं न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी माता स्व. भंवर कंवर उर्फ भंवर बाई के सम्बन्ध में उसके पीहर ग्राम ढींगसरी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के सरपंच के प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत अजाड़ीकलां के सरपंच के प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये उस पर भी बिना किसी न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्त के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। उपरोक्त वर्णित जिस महिला मु० भूर कंवर को हरनाथ सिंह ने अपने साथ रखा उस महिला का देहान्त हो चुका है। श्री हरनाथ सिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनूं के समक्ष जो आवेदन बाजदायरी प्रस्तुत किया उसमें मु० भूर कंवर को मृत व्यक्ति के रूप में ही अंकित किया गया। ऐसी स्थिति में मु० भूर कंवर द्वारा ना तो कोई मुख्यतयारनामा आम श्री केन्द्रपाल सिंह के पक्ष में तहरीर किया जा सकता था

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

और ना ही मृत व्यक्ति की ओर से कोई अपील प्रस्तुत की जा सकती, परन्तु फिर भी श्री केन्द्रपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं पीठासीन अधिकारी श्रीमती अल्का विश्नोई से न्याय की उम्मीद नही होने के कारण जिला कलेक्टर झुंझुनूं के समक्ष स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर जिला कलेक्टर झुंझुनूं द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं से तथ्यात्मक टिप्पणी तथा रिकार्ड तलब किये जाने के आदेश पारित फरमाये उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित फरमा दिया जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल मात्र फिस्कल प्रोसिडींग की कार्यवाही थी। अधीनस्थ न्यायालय नामान्तरकरण की कार्यवाही में नियमित वाद में होने वाली कार्यवाही के अनुसार अपीलार्थी/रेस्पोडेंट् को उक्त विवादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के समानान्तर निर्णय पारित फरमा दिया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर ना तो ग्राम तोगड़ास्वरूपसिंह की निवासी है और उसके द्वारा किये गये कथन गलत व आधारहीन है भंवर कंवर के नाम से यह कथन किया गया है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मदन सिंह पुत्र नारायण सिंह द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है जो दिनांक 22.03.1972 को निर्णय हो चुका है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय दिनांक 22.03.1972 के निर्णय के आधार पर किसी प्रकार के राजस्व भू–अभिलेखों में इन्द्राजात परिवर्तन नही किये गये है और उक्त भूमि सर्वप्रथम राजस्व भू–अभिलेखों में भंवर कंवर उर्फ भंवर बाई के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था, तथा भंवर बाई उर्फ भंवर कंवर का देहान्त होने के पश्चात अपीलार्थी शेर सिंह पुत्र स्व. श्री हरनाथ सिंह का नाम राजस्व भू–अभिलेख में अंकित है। परन्तु उक्त तथ्य पर विचार किये बिना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 03.09.2005 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय को धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था परन्तु फिर भी विधि के सुस्थापित सिद्धान्त को नजरअन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नही किया है, और अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं दिनांक 15.03.2018 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 03.09.2005 बहाल फरमाया जावे।

6. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/1 ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील नियमों में वर्णित किया गया है कि भूर कवर कभी भी स्वर्गीय हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह की पत्नि नहीं रही, बल्कि कुछ समय हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह उक्त महिला के साथ रहे है तथा भूर कंवर उर्फ भंवर कंबर नाम की महिला एक ही होना वर्णित करते हुए उसका देहान्त हो जाना वर्णित करते हुए नियमानुसार फौती का नामान्तकरण भरा जाना वर्णित किया है, जबकि वास्तविकता इसके कतई विपरित इस रूप में है कि ग्राम तोगडास्वरूपसिंह के हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह के दो पत्नि भंवर बाई एव भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर रही है, जिस सम्बन्ध में हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह के भाई मदन सिंह बनाम नारायण सिंह आदि में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दावा संख्या 37/1971 प्रस्तुत हुआ था, उसमें बतौर प्रतिवादी संख्या 3 भंवर बाई पत्नि हरनाथ सिंह एवं भूर कंवर पत्नि हरनाथ सिंह प्रतिवादी संख्या 4 वर्णित करते हुए प्रस्तुत किया गया था, जिस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अनुरूप ही मंवर बाई एवं भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर के हक में भी नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का आदेश पारित फरमाया गया था। हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह के भंवर बाई एवं भंवर कंवर के रूप में दो पत्नियां होने तथा प्रथम पत्नि भवंर बाई से दो संतान शेर सिंह एवं सम्पत सिंह पैदा होने एवं दूसरी पत्नि भंवर कंवर से पुत्री संतान नानी बाई पैदा होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित रहा है, उक्त मान्य स्थिति के पश्चात ही राजस्व न्यायालय द्वारा दिनांक 22.03.1972 को निर्णय करते हुए हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह की दोनों पत्नियों के हक में आधे–आधे हिस्से का नामान्तकरण भरवाया जाकर मौके पर काबिज हुए थे, इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा वास्तविक तथ्य छिपाते हुए अपील मानवीय व्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा फर्जकारिता करते हुए रेस्पोडेन्ट भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर को तथा वास्तविक मृतका भंवर बाई पत्नि हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह को एक ही दर्शित करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सम्पूर्ण हक व हिस्सा अपने हक में तस्दीक करवा लिया, जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को होने पर उसकी ओर से एक रिपोर्ट संख्या 149/2015 पुलिस थाना सदर, झुन्झुनूं में धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी में दर्ज करवाई थी, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान यह माना गया कि हरनाथ सिंह के तीन औरते थी. जिनके नाम भंवर बाई, भंवर कंवर एवं सरोज थे, भंवर बाई ग्राम तोगडास्वरूप सिंह में रहती थी, जब भंवर बाई का स्वर्गवास हुआ तो मुलजिम शेर सिंह पुत्र हरनाथ सिंह ने ग्राम सेवक को व सरपंच को बताया की उसकी माताजी भवर बाई उपनाम भंवर कंवर भोरी कंवर का स्वर्गवास हो गया है तथा इसी नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया गया, इस प्रकार शेर सिंह की धोखाधडी एवं कूटरचना के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भा०द०स० में अपराध प्रमाणित मानने के पश्चात् अपीलाथी शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध चार्जशीट संख्या 191/2015 दिनांक 12.12.2015 प्रस्तुत की गई इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा धोखाधडी पूर्वक मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सम्पत्ति को हडप किया जाना प्रमाणित हुआ था, जिस अनुरूप ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.03.2018 में नामान्तरकण संख्या 26 को निरस्त किया जाकर मिन रेस्पोडेन्ट के हक में नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का आदेश दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं दिनांक 15.03.2018 की क्रियान्वती स्थगित रखे जाने के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी, चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.03.2018 की पालना में नामान्तकरण तस्दीककिया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील इन्फेक्सिस (निष्प्रभावी) हो गई है। अपीलार्थी द्वारा धोखाधडी पूर्वक हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह की जीवित पत्नि भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर को भंवर बाई के साथ उपनाम में दर्शित करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाकर गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर नामान्तकरण संख्या 26 दिनांक 03.09.2005 तस्दीक करवाया था, जिसका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वास्तविक तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निरस्त किये जाने का आदेश दिया जाकर मिन रेस्पोडेन्ट के हक में उसके हक व अधिकार के अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का आदेश दिया गया था, जिसकी पालना हो चुकी है, इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उक्त द्वितीय अपील में श्रीमान के समक्ष वास्तवित तथ्यो को छुपाकर अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी को किसी प्रकार का कानूनन अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा मिन रेस्पोडेन्ट के हक व अधिकार को हड़पने के सम्बन्ध में की गई धोखाधडी के सम्बन्ध में दर्ज रिर्पोट संख्या 149/15 पुलिस थाना सदर, झुन्झुनू में पुलिस द्वारा अपीलार्थी शेर सिंह को बाद आरोप प्रमाणित गिरफ्तार किया गया था, जिस बाबत न्यायालय सैशन न्यायाधीश, झुन्झुनू राजस्थान द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 871/2015 दिनांक 26.11.2015 को धारा 439 द०प्र०स० में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी की धोखाधडी न्यायालय से भी प्रमाणित हुई है। अपीलार्थी शेर सिंह द्वारा अपने आप को एकमात्र हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह की पत्नि भंवर बाई एवं भंवर कंवर उर्फ नंबर कबर का वारिस बताते हुए अपने हक में नामान्तकरण संख्या 26 दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

03.09.2005 की तस्दीक करवाया गया था जिसको अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण रिकार्ड अनुसार निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट के हक में उसके हक व अधिकार के अनुसार नामान्तकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया था, जिसकी पालना हो चुकी है. ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की उक्त अपील निष्प्रभावी होने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य कतई झूठे, बेबुनियाद एवं वास्तविकता के विपरित होने के साथ ही माननीय न्यायालय के समक्ष छुपाना प्रमाणित होने तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 26 दिनांक 03.09.2005 को आदेश दिनांक 15.03.2018 के द्वारा सही रूप से निरस्त किया जाना एवं उक्त आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो जाने से उक्त अपील निष्प्रभावी होने के साथ ही मैरिट पर भी मय हर्जे खर्च खारिज किये जाने का आदेश पारित फरमाये। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 03.09.2005 ग्राम पंचायत अजाडी कलां द्वारा भंवर बाई का देहांत दिनांक 14.08.2005 को हो जाने पर सम्पूर्ण हिस्सा अपीलान्ट शेरसिंह के नाम दर्ज कर दिये जाने को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं की पत्रावली, उभयपक्षों की बहस व प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त पत्रावली वास्ते रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की तलबी हेतु नियत चल रही थी, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूदा अपीलार्थी ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 4 नियम 1 (3) व धारा 151 प्रस्तुत किया और दस्तावेजात प्रस्तुत किये जिस आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनी और पत्रावली को उक्त आवेदन पर आदेश हेतु दिनांक 12.03.2018 नियत की उस दिन पीठासीन अधिकारी ना होने की वजह से आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.03.2018 नियत की गयी और अधीनस्थ न्यायालय ने तलबी की कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही तथा मौजूदा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 4 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी पर कोई आदेश पारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया।

मुख्तयार केन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी तोगडा स्वरूपसिंह. पुलिस थाना सदर झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं हाल आबाद बोरून्दा तहसील पीपाड सिटी जिला जोधपुर द्वारा भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर तथाकथित धर्मपत्नि हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी तोगडास्वरूपसिंह, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं हाल आबाद प्रेमपुरा पोस्ट श्यामपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा (राज.) की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने ना तो धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और ना ही उक्त अपील अपीलार्थी स्वंय भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील मुख्तयारआम केन्द्रपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 03.09.2005 के विरूद्ध अपील 10 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गयी थी। भंवर कंवर ने उक्त अपील मियाद बाहर होने के सम्बन्ध में भी कोई प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसके बावजूद भी विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों को नजरअन्दाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमारा विनम्र मत है कि नामान्तकरण संख्या 26 दिनांक 03.09.2005 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि भंवर बाई भंवर कंवर पत्नि हरनाथ सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की भी जांच नहीं की गई है कि भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर पत्नी श्री हरनाथ सिंह उर्फ भवानी जाति राजपूत निवासी तोगडास्वरूपसिंह के कितने विधिक वारिस हैं। भंवर कंवर उर्फ भूर कंवर तथाकथित

धर्मपत्नि हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी तोगडास्वरूपसिंह, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं हाल आबाद प्रेमपुरा पोस्ट श्यामपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा (राज.) जरिये मुख्तयार आम केन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह उर्फ भवानी सिंह जाति राजपूत के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है। मुख्तयार आम केन्द्रपाल सिंह द्वारा अपनी पहचान से सम्बन्धित कोई दस्तावेजात/साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, मात्र केन्द्रपाल सिंह के कथनों एवं दस्तावेजों को सही मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। यदि नामान्तरकरण में कोई संदेह अथवा कूटरचना जाहिर होती है तो अधीनस्थ न्यायालय को विस्तृत जॉच कर ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिये थी किन्तु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा इस सम्बन्ध में अपने निर्णय में कोई विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। उपरोक्त के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम इस तथ्य को निर्णित किया जाये कि भंवर बाई भंवर कंवर पत्नी श्री हरनाथ सिंह की यदि मृत्यु हो चुकी है तो उसके कितने विधिक वारिस हैं ? भंवर बाई भंवर कंवर पत्नि हरनाथ सिंह के शेर सिंह एवं केन्द्रपाल सिंह विधिक वारिसान है अथवा नहीं ? अन्यथा की स्थिति में प्रकरण में गहन एवं विस्तृत जॉच की जाकर निष्कर्षात्मक एवं विवेचनात्मक निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि– अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम इस तथ्य को निर्णित किया जाये कि भंवर बाई भंवर कंवर पत्नी श्री हरनाथ सिंह की यदि मृत्यु हो चुकी है तो उसके कितने विधिक वारिस हैं ? भंवर बाई भंवर कंवर पत्नि हरनाथ सिंह के शेर सिंह एवं केन्द्रपाल सिंह विधिक वारिसान है अथवा नहीं ? अन्यथा की स्थिति में प्रकरण में गहन एवं विस्तृत जॉच की जाकर निष्कर्षात्मक एवं विवेचनात्मक निर्णय पारित किया जावे।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर